पत्रांक –3/एम०– 06/2016सा0प्र0 2352 /

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

प्रेषक,

आमिर सुबहानी
सरकार के प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 19/2/ 2018

विषय– सरकारी सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु जाँच/संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निदेशानुसार कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक– 14106 दिनांक– 08.11.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए आधार एवं प्रक्रिया अवधारित कर संसूचित किया गया है।

2. उक्त संकल्प की कंडिका–3 में निहित प्रावधान के आलोक में सेवानिवृत्त पदाधिकारी का पैनल तैयार किया जाना है। संकल्प की कंडिका–4 में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु संवा शर्त्तें निर्धारित की गयी है।

3. संचालन पदाधिकारी के रूप में सेवा निवृत्त पदाधिकारियों को सूचीबद्ध करने हेतु सम्यक् विचारोपरान्त पैनल के निर्माण हेतु सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की विभागवार/कार्यालयवार अधिकतम संख्या निम्नरूप में निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	विभाग/ कार्यालय	विभाग/ कार्यालय का नाम	प्रत्येक विभाग/ कार्यालय को पैनल हेतु प्रस्तावित से0नि0 पदा0 की संख्या	कुल संख्या
1.	सचिवालय के विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग	5	3×5 = 15
		गृह विभाग, जल संसाधन विभाग	4	2×4 = 08
		वित्त विभाग, उद्योग विभाग, वाणिज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, नगर विभाग एवं आवास विभाग, कृषि विभाग, सहकारिता विभाग, पशु	3	17×3 = 51

		एवं मत्स्य संसाधन विभाग, लघु जल संसाधन विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, पथ निर्माण विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, श्रम संसाधन विभाग , भवन निर्माण विभाग		
		मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, निगरानी विभाग, योजना एवं विकास विभाग, पंचायती राज विभाग, अ0 जा0 एवं अ0 ज0 जा0 कल्याण विभाग, समाज कल्याण विभाग, उद्योग विभाग, खान एवं भूत्तव विभाग, पर्यावरण एवं वन विभाग, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,	2	11×2 = 22
		संसदीय कार्य विभाग, निर्वाचन विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अ0 पि0 वर्ग कल्याण विभाग, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, सूचना प्रावैद्यिकी विभाग, गन्ना उद्योग विभाग, उर्जा विभाग, पर्यटन विभाग, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग, विधि विभाग	1	11×1 = 11
2.	विभागीय जाँच आयुक्त कार्यालय	विभागीय जाँच आयुक्त कार्यालय (अपर विभागीय जाँच आयुक्त)	3	1×3 = 03
3.	प्रमंण्डलीय आयुक्त कार्यालय	सभी प्रमण्डलीय आयुक्त कार्यालय	2	9×2 = 18
4.	जिला समाहरणालय	1 पटना	3	1×3 = 03
		2. नालन्दा, भोजपुर, रोहतास बक्सर कैमूर, पश्चिम चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, वैशाली, सारण, सिवान, गोपालगंज, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णियाँ, कटिहार, किशनगंज, भागलपुर बेगुसराय, गया, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद	2	27×2 = 54
		3. शिवहर, सुपौल, अररिया, बाँका, मुंगेर, जमुई, खगड़िया, लखीसराय, शेखपुरा, अरवल	1	10×1 = 10
			कुल–	**195**

4. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित कर सभी विभागों/कार्यालयों के लिए संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्ति हेतु उपर्युक्त संख्या में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों का पैनल तैयार किया जाएगा तथा संबंधित विभागों/कार्यालयों को अनुमान्य संख्या में सेवानिवृत्त पदाधिकारियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी। संबंधित विभाग/कार्यालय के सम्वर्ग नियंत्री प्राधिकार/अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सूचीबद्ध सेवानिवृत्त पदाधिकारी की सेवा संचालन पदाधिकारी के रूप में लेने संबंधी नियुक्ति पत्र नियमानुसार निर्गत किया जा सकेगा।

5. संचालन पदाधिकारी के रूप में सूचीबद्ध पदाधिकारियों के संक्षिप्त प्रशिक्षण की व्यवस्था करने हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिपार्ड से अनुरोध किया जाएगा और प्रशिक्षण में हुए व्यय की राशि का विकलन **मुख्य बजट शीर्ष 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 00, 003–प्रशिक्षण, 0006–बिहार लोक प्रशिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्थान (बिपार्ड) 33–2070000030006** में उपबंधित राशि से किया जायेगा। इसके लिए अलग से आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी।

6. संचालन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को अनुमान्य मानदेय का भुगतान संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा ***"2802 संविदा सेवाएँ" विषय शीर्ष*** से किया जायेगा।

7. विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु कार्यालय एवं उपस्कर की व्यवस्था संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा की जाएगी। प्रत्येक संचालन पदाधिकारी को संबंधित विभाग/कार्यालय द्वारा एक निम्नवर्गीय लिपिक अथवा एक डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध करायी जाएगी।

8. अनुरोध है कि उपर्युक्त मार्गनिर्देशों का अनुसरण किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

(आमिर सुबहानी) 18.2.19
सरकार के प्रधान सचिव।